कार्यालय :— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

:: कार्यालय आदेश ::

क्रमांक : 289   दिनांक : 03.12.24

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2023 दिनांक 16.11.2023 व आदेश क्रमांक 07/विविध/2024 दिनांक 30.11.2024 के अनुसरण में बालोतरा न्यायक्षेत्र में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को छोड़कर शेष सभी न्यायालय दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में बंद रहेंगे। दिनांक 01.01.2025 को नववर्ष के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के फलस्वरूप उस रोज भी सभी न्यायालय बंद रहेंगे।

शीतकालीन अवकाश की उक्त अवधि में सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर शेष सभी दिवसों में इस न्यायक्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या–01 व 02 बाड़मेर, विशिष्ठ न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्र.) बाड़मेर, पारिवारिक न्यायालय बालोतरा के न्यायालय में लम्बित एवं शीतकालीन अवकाश अवधि में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक आपराधिक (एन.डी.पी.एस. प्रकरण सहित) प्रार्थना पत्रों एवं रिमाण्ड आदि तथा इन सभी न्यायालयों के आवश्यक प्रकृति के दीवानी कार्य का विधिनुकूल निस्तारण करने हेतु निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिये अधिकृत किया जाता है :—

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	शीतकालीन अवकाशों में कार्य करने की अवधि
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	दिनांक 25.12.2024 से 28.12.2024 तक
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन	दिनांक 29.12.2024 से 31.12.2024 तक

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/विविध/2024 दिनांक 30.11.2024 के निर्देशानुसार विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, बालोतरा द्वारा शीतकालीन अवकाश की इस अवधि में दिनांक 30.12.2024 व 31.12.2024 को अपने न्यायालय में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्य का निस्तारण करना सूचित किया गया है। शीतकालीन अवकाश की शेष अवधि में उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य भी उपर्युक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01 बालोतरा, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–02 बालोतरा, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01/02 बाडमेर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौहटन/गुडामालाणी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा/पचपदरा/सिवाना/गुडामालाणी/सिणधरी/बाड़मेर/चौहटन/सेड़वा/शिव, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.–01/02 बाड़मेर, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बाड़मेर के न्यायालय में लम्बित तथा शीतकालीन अवकाश की इस अवधि में उद्भूत होने वाले आवश्यक आपराधिक कार्य यथा जमानत रिमाण्ड तथा आवश्यक दीवानी कार्य का विधिनुकूल निस्तारण हेतु निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिये अधिकृत किया जाता है :—

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	शीतकालीन अवकाशों में कार्य करने की अवधि
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिणधरी	दिनांक 25.12.2024 से 28.12.2024 तक
2.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा	दिनांक 29.12.2024 व 30.12.2024
3.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा	दिनांक 31.12.2024 व 01.01.2025

क्रमशः पृष्ठ 2.....

उपर्युक्त अधिकृत पीठासीन अधिकारीगण शीतकालीन अवकाश की अवधि में सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर अन्य सभी दिवसों में अपने न्यायालय में उपस्थित रहकर आवश्यक प्रकृति का कार्य निस्तारण करेंगे। इस अवधि के दौरान प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी सम्भावित रहेगा, जिसका निस्तारण भी इन अधिकृत अधिकारीगण द्वारा किया जावेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के न्यायालय में कार्यरत सभी कर्मचारीगण सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर शीतकालीन अवकाश की अवधि में अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित करेंगे। इसके अलावा उपर्युक्त न्यायालय, जिन्हें शीतकालीन अवकाश अवधि में आवश्यक कार्य निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया है, उस अवधि के दौरान उनके न्यायालय में कार्यरत कर्मचारीगण सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। शीतकालीन अवकाश अवधि में आवश्यक कार्य निस्तारण हेतु केन्द्रीयकृत नजारत शाखा व प्रतिलिपि शाखा कार्यदिवसों के दौरान खुली रहेंगी। इन शाखाओं में नियुक्त आवश्यक स्टाफ आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादन हेतु उपस्थित रहेंगे।

–सही–
(एम. आर. सुथार)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

क्रमांक : 10269 – 10311 दिनांक : 03.12.24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा।
2. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर।
3. विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 01, बाड़मेर को प्रेषित कर उन्हें निर्देश दिये जाते है कि इस आदेश की एक प्रति अपने न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करें।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 02, बाड़मेर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।
7. विशिष्ठ न्यायाधीश, अनु.जाति / जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर।
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा।
9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।
10. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर।
11. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01 व 02, बालोतरा / बाड़मेर।
12. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी / चौहटन।
13. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा / बाड़मेर / सिवाना / चौहटन / पचपदरा / गुड़ामालानी / सेड़वा / शिव / सिणधरी
14. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01 / 02, बाड़मेर।
15. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा।
16. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बाड़मेर।
17. जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा / बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों को इस आदेश से अवगत करावें।
18. सहायक निदेशक, अभियोजन, बाड़मेर।
19. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बालोतरा / बाड़मेर / सिवाना / चौहटन / पचपदरा / गुड़ामालानी / सेड़वा
20. रीडर ग्रेड–I, न्यायालय हाजा।
21. सूचना पट्ट, जिला न्यायालय, बालोतरा।
22. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश की प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा की वेबसाईट पर अपलोड करें।
23. रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा